न्यायालय :–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सनावद, जिला पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर (म0प्र0)
(समक्ष– पूर्वी तिवारी)

(निर्णय दिनांक :–17.08.2022)

आपराधिक प्रकरण क्र.– 270 / 2020

फाईलिंग नं.– 349 / 2020

सी.एन.आर.नं.– M.P.1006000398-2020

संस्थित दिनाँक– 24.07.2020

(प्रथम सूचना रिपोर्ट / अपराध क्रमाँक 137 / 2020 और पुलिस थाना बेड़िया, जिला खरगोन म.प्र.)

शिकायतकर्ता	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बेड़िया, जिला–खरगोन
शासन द्वारा प्रतिनिधित्व	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीपसिंह मण्डलोई
अभियुक्त	भैयालाल पिता मदन मंसारे, उम्र–35 वर्ष, निवासी–ग्राम भोगावा–निपानी, थाना–बेड़िया, तहसील सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)
अभियुक्त द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री ए.ए.हिलाल अधिवक्ता।

फार्म–बी

अपराध की तारीख	26.06.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	26.06.2020
आरोप–पत्र की तारीख	25.01.2021
आरोपों के विरचना की तारीख	25.01.2021
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	25.01.2021
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	17.08.2022
निर्णय की तारीख	17.08.2022
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	कुछ नहीं।

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी / धारा–41 द. प्र.सं. के सूचना पत्र की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोज्नार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	भैयालाल पिता मदन	26.06.2020	30.06.2020	452, 354, 354क भा.द.सं.	दोषमुक्ति	कुछ नहीं।	03 दिवस

प्रारूप–च

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	पीड़िता	फरियादी
अ.सा. 2	जीवंतीबाई	सुन–कहो साक्षी
अ.सा. 3	दिलीप	सुन–कहो साक्षी
अ.सा. 4	शीतल सिंघार	विवेचक साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
निरंक		

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
निरंक		

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची :–

स. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1/अ.सा.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी.2/अ.सा.1	नक्शा मौका
3	प्रदर्श पी.3/अ.सा.4	गिरफतारी पत्रक

ख. प्रतिरक्षा

स. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक		

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

स. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श सी–1	पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट

घ. आवश्यक वस्तुएं

सं. क्रं.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
निरंक		

//निर्णय//

1. अभियुक्त भैयालाल पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 452, 354, 354क के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनाँक–26.06.2020 को सुबह लगभग 10:00 बजे, आरक्षी केन्द्र बेड़िया अंतर्गत ग्राम भोगावा–निपानी स्थित फरियादी के आधिपत्य के मकान, जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में फरियादी को उपहति कारित करने या उसकी तैयारी कर प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया, पीड़िता की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं पीड़िता को बुरी नियत से इस प्रकार से पकड़कर शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं की, जिसमें अवांछनीय लैंगिक संबंध बनाने संबंधी प्रस्ताव अन्तर्वलित होकर पीड़िता का लैंगिक उत्पीडन कारित किया।

2. प्रकरण में पीड़िता, जीवंतीबाई, दिलीप की जान–पहचान अभियुक्त से होना स्वीकृत तथ्य है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनाँक–26.06.2020 को पीड़िता ने बेड़िया थाने पर उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई कि उक्त दिनाँक को सुबह लगभग 10:00 बजे वह अपने घर पर अकेली थी और कपड़े धो रही थी, तभी उसके गांव का निवासी भैयालाल घर में घुस आया और बुरी नियत से उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके ब्लाउज के बटन तोड़ दिए। पीड़िता ने

स्वयं को भैयालाला से छुडाया जिसके पश्चात् भैयालाल उसके घर से भाग गया। तदोपरांत् पीड़िता ने घटना अपनी सास जीवंतीबाई को बतायी थी। पीड़िता की मौखिक शिकायत के आधार पर थाना बेड़िया द्वारा अभियुक्त भैयालाल के विरूद्ध अपराध क्रमाँक–137/2020 अंतर्गत धारा–452, 354, 354क भा.द.सं. दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये गये, पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया, अभियुक्त भैयालाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक निर्मित किया गया तथा आवश्यक अन्वेषण के पश्चात् अभियुक्त भैयालाल के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा–452, 354, 354क के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में दिनाँक–24.07.2020 को प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त भैयालाल को आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये जाने पर उसने अपराध किये जाने से इंकार करते हुए विचारण चाहा है तथा द.प्र.सं. की धारा–313 के अंतर्गत स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रकरण में झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। अभियुक्त ने स्वयं के बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

5. प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैः–

(1) क्या दिनाँक–26.06.2020 को सुबह लगभग 10:00 बजे, आरक्षी केन्द्र बेड़िया अंतर्गत ग्राम भोगावा–निपानी स्थित फरियादी के आधिपत्य के मकान, जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में फरियादी को उपहति कारित करने या उसकी तैयारी कर प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

(2) क्या उक्त घटना दिनाँक, समय व स्थान पर अभियुक्त भैयालाल ने पीड़िता की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

(3) क्या उक्त घटना दिनाँक, समय व स्थान पर अभियुक्त भैयालाल ने पीड़िता को बुरी नियत से इस प्रकार से पकड़कर शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं की, जिसमें अवांछनीय लैंगिक संबंध बनाने संबंधी प्रस्ताव अन्तर्वलित होकर पीड़िता का लैंगिक उत्पीडन कारित किया ?

<u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u>

<u>विचारणीय बिन्दु क्रमाँक–(1) लगायत (3) का सकारण निष्कर्षः–</u>

6. उपरोक्त विचारणीय बिंदु परस्पर अनन्योनाश्रित होने के कारण एवं साक्ष्य व तथ्यों की पुनरावृत्ति को निवारित करने के आशय से, उक्त विचारणीय बिंदुओं पर एक साथ विचार किया जा रहा है।

7. **पीड़िता (अ.सा.–01)** ने उसकी साक्ष्य में व्यक्त किया है कि उसके न्यायालयीन कथन से 5 माह पूर्व जब वह अपने घर पर अकेली थी और कपड़े धो रही थी, तब अभियुक्त भैयालाल ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया था और उसके ब्लाउज के बटन तोड़ दिए थे। पीड़िता ने अभियुक्त को चप्पलों से मारा था, इसलिए अभियुक्त पीड़िता के घर से भाग गया था। पीड़िता के अनुसार घटना के बाद उसने संपूर्ण

घटनाक्रम अपनी सास को बताया था और थाने में रिपोर्ट की थी। यद्यपि पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.–1 एवं नक्शा मौका प्र.पी.–2 को प्रमाणित किया है, परंतु पीड़िता ने उसके प्रतिपरीक्षण में नक्शा मौका पर पुलिसवालों के कहने पर थाने पर हस्ताक्षर किया जाना बताया है। पीड़िता के कथनों का समर्थन उसकी सास **जीवंतीबाई (अ.सा.–02)** एवं उसके पति **दिलीप (अ.सा.–03)** ने उनकी साक्ष्य में किया है।

8. अभियोजन साक्षीगण उनके घर के समक्ष अन्य लोगों के घर होना स्वीकार किये हैं, परंतु प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है। घटना का समय सुबह लगभग 10:00 बजे का होना दर्शित है, जिस समय स्वाभाविक रूप से सभी लोग घर के आस–पास रहते हैं और किसी स्थान पर चिल्ला–चोट होने पर अन्य व्यक्तियों/पड़ोसियों को उसकी जानकारी होती है। हस्तगत् प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य समक्ष नहीं आए हैं। इसी तारतम्य में विवेचक साक्षी **शीतल सिंघार (अ.सा.–04)** ने उसके प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा पीड़िता के घर के आस–पास के स्वतंत्र साक्षियों के कथन लेखबद्ध नहीं किये गये थे।

9. यह उल्लेखनीय है कि पीड़िता एवं अन्य साक्षियों ने उनकी साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि पीड़िता को शरीर पर नाखून की खरोंचे से चोट आयी थी, जिससे खून बह रहा था। इस संबंध में पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट प्र.सी.–1 अवलोकनीय है। यद्यपि अभियुक्त द्वारा धारा–294 द.प्र.सं. के अंतर्गत पीड़िता की चिकित्सीय रिपोर्ट की अंतर्वस्तु को स्वीकार किया गया है, परंतु मात्र उक्त स्वीकारोक्ति से अभियुक्त के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह प्रमाणित होना शेष है कि पीड़िता को आयी चोटे किसके द्वारा कारित की गयी थी। प्र.सी.–1 के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता को शरीर पर किसी प्रकार की बाह्य रूप से चोटें नहीं आयी थी। ऐसी स्थिति में पीड़िता की मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सीय प्रतिवेदन में विरोधाभास निहित है तथा प्रकरण में पीड़िता को कथित रूप से आई चोटों की पुष्टि नहीं होती है।

10. पीड़िता ने उसकी साक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह व्यक्त किया है कि पीड़िता के ब्लाउज के बटन अभियुक्त ने तोड़ दिए थे, परंतु विवेचना के दौरान उक्त बटनों को जप्त नहीं किया गया है, जिस संबंध में स्वयं विवेचक साक्षी ने उनकी साक्ष्य में जप्ती के संबंध में अस्थिर कथन किये हैं। विवेचक साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने अनुसंधान के दौरान कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की और ना घटनास्थल से ब्लाउज के बटन को जप्त किया था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त पर आरोपित अपराध को दृष्टिगत रखते हुए उसके द्वारा प्रश्नगत् घटना दिनाँक, समय व स्थान पर पीड़िता के साथ छेड़–छाड़ किये जाने के तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना परिलक्षित नहीं होता है।

11. अतः प्रकरण में विवेचना के दौरान पीड़िता के कथनानुसार ना ही कोई ब्लाउज अथवा ब्लाउज के बटन की जप्ती की गयी है और ना ही घटना के संबंध में कोई चक्षुदर्शी साक्षी है। स्वयं पीड़िता उसकी साक्ष्य में अस्थिर रही है और वर्तमान मामले में जब पीड़िता की साक्ष्य ही अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को सिद्ध करने हेतु पर्याप्त नहीं है, तब ऐसी स्थिति में अनुश्रुत साक्षीगण (Hearsay Witnesses) की साक्ष्य का अधिक महत्व शेष नहीं रह जाता है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य का समर्थन पीड़िता

के चिकित्सीय प्रतिवेदन से भी नहीं होता है। फलतः पीड़िता की साक्ष्य अभियुक्त की आरोपित अपराध के संबंध में दोषसिद्धि के विषय पर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

12. अतः उपरोक्त संपूर्ण मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनाँक–26.06.2020 को सुबह लगभग 10:00 बजे, आरक्षी केन्द्र बेड़िया अंतर्गत ग्राम भोगावा–निपानी स्थित फरियादी के आधिपत्य के मकान, जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में फरियादी को उपहति कारित करने या उसकी तैयारी कर प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया, पीड़िता की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं पीड़िता को बुरी नियत से इस प्रकार से पकड़कर शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं की, जिसमें अवांछनीय लैंगिक संबंध बनाने संबंधी प्रस्ताव अन्तर्वलित होकर पीड़िता का लैंगिक उत्पीड़न कारित किया।

13. परिणामस्वरूप अभियुक्त भैयालाल को भा0द0सं0 की धारा 452, 354, 354क के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

14. अभियुक्त भैयालाल के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानत को निरस्त किया जाता है और प्रतिभूति पत्र व जमानत को उन्मोचित किया जाता है।

15. अभियुक्त भैयालाल अनुसंधान एवं विचारण के दौरान दिनाँक–27.06.2020 से दिनाँक–30.06.2020, कुल–3 दिवस निरोध अवधि में रहा है। इस संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाणपत्र पृथक से तैयार किया जावे जो निर्णय का भाग होगा।

16. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय दिनांकित व हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
सनावद, प.नि. (म.प्र.)

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
सनावद, प.नि. (म.प्र.)

Poorvi Tiwari

Digitally signed by Poorvi Tiwari
Date: 2022.08.17 17:45:43 +0530